सीगा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 109/2019 (RCMS 2019/00197) भवानी सिंह पुत्र मान सिंह जाति राजपूत निवासी बी–4/15 चित्रकूट स्कीम, जयपुर बनाम 1. तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (श्री गोकुलदान चारण) 2. विजय सिंह पुत्र स्व. श्री मान सिंह जाति राजपूत निवासी गगियासर हाऊस, क्वीन्स रोड़, जयपुर

04.12.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री नितिन कुमार एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर उपस्थित है। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है :

प्रार्थी ने यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया है कि तहसीलदार, श्रीकरणपुर के समक्ष एक प्रकरण 11/2011 अनवानी विजय सिह बनाम भवानी सिंह व अन्य जो कि स्व. मानसिंह के द्वारा विजय सिंह के पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के सम्बन्ध में है, में पीठासीन अधिकारी तहसीलदार, श्रीकरणपुर से निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 विजय सिंह द्वारा स्व. मान सिंह की फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर दिनांक 08.04.2011 को इंतकाल दर्ज करवाने के लिए अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार करणपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी उपस्थिति दी जाकर निवेदन किया कि तथाकथित वसीयत में अंकित सम्पति के संबंध में श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर व श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर के समक्ष वाद लम्बित है एवं इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा स्वयं ने तथाकथित वसीयत की प्रोबेट हेतु याचिका सैशन न्यायाधीश, जयपुर के समक्ष पेश की हुई है, जो विचाराधीन है, जिस पर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार, करणपुर द्वारा उक्त विचाराधीन प्रकरण को उक्त अंकित प्रकरणों के निस्तारण की प्रतीक्षा में रख लिया गया और वर्ष 2011 से 2019 तक इस पत्रावली में कोई तारीख निश्चित नहीं की गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 14.08.2019 को वर्तमान तहसीलदार गोकुलदान चारण द्वारा विजय सिंह से मिली भगत करके प्रकरण को पेशी में लिया गया और आगामी पेशी 30.08.2019 नियत कर दी गई और इस दिन प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर जिला न्यायाधीश व अपर न्यायाधीश, जयपुर के समक्ष लम्बित बंटवारा के वाद पत्रों की प्रति व प्रोबेट की याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा विवादित वसीयत की सत्यता के सम्बन्ध में निर्णय नहीं कर दिया जाता तब तक इस वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने से इंकार कर दिया और प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्रावली में आगामी कार्यवाही प्रार्थी संख्या 2 विजय सिंह के बयान लेने शुरू कर दिये और पत्रावली में कार्यवाही निरन्तर जारी रखी। उसका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अनेक बार निवेदन करने पर भी नहीं लिया जिसकी प्रार्थी ने विडियो भी बनाई है और अप्रार्थी संख्या 1 अपनी सीट से उठकर चले गई और अपना फोन बंद कर लिया तथा कर्मचारीगण पत्रावली में कार्यवाही निरन्तर करते रहें। पत्रावली में क्या आदेश पारित किया गया उसकी भी जानकारी प्रार्थी को नहीं दी गई न ही फर्द अहकाम पढ़ने दी गई और पत्रावली में आगामी पेशी 16.09.2019 नियत की है और विजय सिंह अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खुले आम एलानिया तौर पर कहा जा रहा है कि आगामी पेशी पर तथाकथित वसीयत के आधार पर इन्तकाल करवा लेगा व जमीन आगे विक्रय कर देगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त कारणों से अप्रार्थी संख्या 1 के के आचरण से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, श्रीकरणपुर व प्रार्थीगण की मिलीभगत व साजिश प्रमाणित है और प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। अतः तहसीलदार, श्रीकरणपुर के समक्ष लम्बित प्रकरण अनवानी विजय सिंह बनाम भवानी संख्या व अन्य, संख्या 11/2011 को सुनवाई हेतु अन्य न्यायालय में अन्तरित करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 02 विजय सिंह के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसके पिता मानसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और मानसिंह द्वारा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कृषि भूमि की एक वसीयत उसके पक्ष में की गई है और इस वसीयत के आधार पर मानसिंह के उतराधिकारी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 02 विजय सिंह अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। दिनांक 08.04.2011 को जो वसीयत की गई थी वह उचित प्रकार की है या नहीं? इस प्रकरण में मूल न्यायालय तहसीलदार को निर्णय लेना था और साक्ष्य हेतु पत्रावली के तीन गवाह उपस्थित हुए परन्तु मूल न्यायालय के समक्ष वर्तमान प्रार्थी के वकील की हैसियत से श्री गुप्ता उपस्थित हुए और उनके द्वारा कहा गया कि इस प्रकरण में आज कोई साक्ष्य नहीं लिये जाने चाहिए बल्कि प्रकरण को आगामी तारीख पेशी के लिए रखना चाहिए इस पर तहसीलदार महोदय ने कहा कि जब गवाह उपस्थित है तो उनका बयान लेखबद्ध किया जायेगा और आप इन गवाहों से अपनी प्रतिपरीक्षा कर सकते है। जिस पर भवानी सिंह के वकील श्रीगुप्ता ने न्यायालय में अभद्र व्यवहार करते हुए न्यायालय के डैकोरम की परवाह किये बिना हल्ला मचाना शुरू कर दिया और कहा कि जो प्रकरण इतने लम्बे समय से विचाराधीन है वह आज आप निस्तारित नहीं कर सकते। उस समय श्री गुप्ता का आचरण पूरी तरह अशोभनीय था और जब न्यायालय तहसीलदार महोदय ने साक्ष्य लेना प्रारम्भ किया तो दूसरे सभी वकील

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय में उपस्थित थे और साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के उपरान्त श्री गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष एक झूठा प्रार्थना पत्र पेश किय कि वे इस न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं रखते है और अन्यत्र मुंतकिल करवाना चाहते है। तहसीलदार द्वारा दो गवाहों के बयान रिकॉर्ड किये गये थे, प्रार्थना पत्र आने के बाद तीसरे गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक–11, जयपुर में जो वाद लम्बित था वह खारिज हो चुका है जो मानसिंह की छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए प्रस्तुत किया गया था किन्तु जिस सम्पत्ति के लिए मानसिंह ने स्वयं अपनी वसीयत कर दी थी और उस वसीयत को सिद्ध करने के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष गवाह प्रस्तुत किये जा रहे थे और वह प्रकरण किसी प्रकार अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, जयपुर के प्रकरण से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं था। तहसीलदार के समक्ष मानसिंह की स्वयं अर्जित सम्पति की वसीयत का प्रकरण था। मानसिंह को अपनी सम्पत्ति की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था और मानसिंह ने अपने जीवनकाल में ही वसीयत की थी। उस वसीयत को वैधानिक रूप से सिद्ध किये जाने के लिए वसीयत पर हस्ताक्षर किये जाने के समय उपस्थित गवाहान के बयान करवाये जाने थे, जिसकी कार्यवाही अधीनस्थ तहसीलदार के न्यायालय में चल रही थी उस प्रकरण को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, जयपुर के निर्णय तक स्थगित रखने का प्रश्न ही नही था और दूसरी ओर उक्त प्रकरण खारिज भी हो चुका है दूसरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर नगर का प्रकरण प्रोबेट से सम्बन्धित है लेकिन वर्तमान प्रकरण वसीयत को सिद्ध करने का है जिसे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर नगर में लम्बित प्रकरण के आधार पर तहसीलदार के समक्ष लम्बित प्रकरण में कार्यवाही रोकने का कोई उचित आधार नहीं है और तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा की गई कार्यवाही उचित थी। इसलिए मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि जैसे ही प्रार्थी ने प्रकरण मुंतकिल करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तहसीलदार ने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उचित आदेश आने तक मामला स्थगित कर दिया जो उचित था। इसलिए मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के वसीयत सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर स्थानीय दैनिक समाचार के माध्यम से हितबद्ध व्यक्तियों आपत्तियां आमन्त्रित की गई थी और 15.03.2011 तक किसी हितबद्ध व्यक्ति ने कोई आपत्ति पेश नहीं की थी जिस पर आगामी तारीख पेशी 06.04.2011 निर्धारित की गई और उक्त दिनांक को भवानी सिंह ने अपने अभिभाषक के माध्यम से अपनी उपस्थित दर्ज करवाई और दनांक 08.04.2011 को अपनी आपत्तियां भी प्रस्तुत कर दी। तत्पश्चात उक्त पत्रावली में भवानी सिंह के वकील द्वारा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। जिस हेतु यह कार्यवाही पत्रावली में लम्बित चली आई और लगभग 9 साल का समय बिना किसी कारण के प्रार्थी भवानी सिंह व उसके वकील श्री गुप्ता का प्रकरण को लम्बित रखने की भावना के करण प्रकरण लम्बित रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी भवानी सिंह ने प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से ही यह प्रकरण मुंतकिली हेतु पेश किया है जो खारिज करने योग्य है।

मैनें दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का व उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर की टिप्पणी दिनांक 14.10.2019 का भी अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी भवानी सिंह ने तहसीलदार, श्रीकरणपुर के समक्ष एक प्रकरण संख्या 11/2011 अनवानी विजय सिंह बनाम भवानी सिंह जो वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के कारण लम्बित चला आ रहा है जिसमें भवानी सिंह ने तहसीलदार से

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2019 को पेश करके उक्त प्रकरण संख्या 11/2011 को अन्य न्यायालय में मुतकिल करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है। प्रार्थी ने इस आधार पर शंका व्यक्ति है कि पूर्व में उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.04.2011 को निवेदन किया गया कि तथाकथित वसीयत में दर्ज सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर नगर एवं जिला सत्र न्यायाधीश, जयपुर के समक्ष वाद लम्बित है और दूसरा तथाकथित वसीयत की प्रोबेट हेतु सैशन न्यायाधीश, जयपुर के समक्ष एक याचिका विचाराधीन है जिसके आधार पर प्रकरण में कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी और तहसीलदार द्वारा उक्त वर्णित प्रकरणों के निस्तारण के इतजार में कार्यवाही 2011 से 2019 तक लम्बित रखी और जबकि अभी भी उक्त वाद और प्रोबेट की कार्यवाही लम्बित होते हुए तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही शुरू कर दी है जिससे उसे निष्पक्ष न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है इसलिए प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल किया जावे।

इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन वसीयत की वैद्यता/अवैद्यता के सम्बन्ध में कोई विचार करने की अधिकारिता नहीं है और न ही **उक्त वर्णित प्रकरणों के आधार पर कार्यवाही रोकना उचित है या अनुचित है?** इस पर भी विचार करने की इस न्यायालय कोई कानूनी अधिकारिता नहीं है। इस पर निर्णय सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा ही किया जाना है। इस न्यायालय द्वारा केवल यह देखा जाना है कि उक्त विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय मिलने की सम्भावना है अथवा नहीं? तहसीलदार ने अपनी टिप्पणी दिनांक 14.10.2019 में आरोपों का खण्डन करते हुए विचारधीन प्रकरण संख्या 11/2011 को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किये जाने में कोई आपत्ति न होना अंकित किया है। चूंकि प्रकरण 2011 से लम्बित चला आ रहा है

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

और इतनी लम्बी अवधि बाद 2019 में कार्यवाही शुरू करने से प्रार्थी को यह आंशका हो गई है कि उसे तहसीलदार से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलगा जबकि प्रकरण 2011 से लम्बित था जिसके लिए भी तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करना उचित था। इतनी लम्बी अवधि बाद कार्यवाही शुरू करने से प्रार्थी के मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि उसे तहसीलदार से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। हम चाहते है कि प्रार्थी का न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे इसलिए न्यायहित में तहसीलदार, श्रीकरणपुर के समक्ष लम्बित वसीयत प्रकरण 11/2011 अनवानी विजय सिंह बनाम भवानी सिंह आदि है, को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु मुंतकिल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण को तहसीलदार(राजस्व), श्रीकरणपुर से तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को सुनवाई एवं निस्तारण हेतु **मुंतकिल किया जाता है।** तहसीलदार श्रीकरणपुर अपने न्यायालय की मूल पत्रावली तहसीलदार, श्रीगंगानगर को भिजवाये। तहसीलदार, श्रीगंगानगर अपने स्तर से पक्षकारों को सुनवाई हेतु सूचित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर/ श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर